अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल, मुंबई

दिव्यांग परीक्षा पाठ्यक्रम

प्रस्तावना

नमस्कार, हम बहुत ही हर्ष, उत्साह एवं उमंग के साथ कहना चाहते है कि अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल ने विशेष विद्यार्थियों के लिए प्रारंभिक से विशारद तक का पाठ्यक्रम बनाया है। यह एक ऐतिहासिक कदम हैं। इस पाठ्यक्रम कि रूपरेखा विद्यार्थियों को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और कुशल बनाने हेतु तैयार कि गई है। संगीत न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। समाज का एक घटक जिनमें हम गतिमंद (slow lerner), मतिमंद, (Mentally Challenge) स्वमगन (Autism) बहु विकलांग (Cerebral Palsy), कर्णबधिर (Hearing Impaired), दृष्टिबाधित (Visually Impaired) एवं अस्थिव्यंग्य (Phisaclly Handicap) व्यक्ति सम्मिलित हैं उनके विकास का मार्ग संगीत के माध्यम से जा सकता हैं। इसे घटकों के लिए अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल ने विशेष प्रयास से, कुछ विशेष निकषों के आधार पर विशारद तक की पाठ्यक्रम की निर्मिती की गई है। इस पाठ्यक्रम में गायन, वादन, नृत्य इन सभी विषयों का समावेश किया गया है। हमे पूरा विश्वास है कि आप सभी पालक, विद्यार्थी और इस विषय से जुडी सभी संस्थाए अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल के इस उपक्रम का स्वागत करेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि इन विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज के मुख्य प्रवाह में शामिल कर सके। आप सभी यह भी जानते है कि संगीत एक उपचार साधन भी है। कई अस्पताल और सामाजिक संस्थाओं में संगीत के उपचारसे मानसिक तथा शारीरिक व्यथा दूर करने का प्रयास किया जाता है।

सन 1901 में लाहौर में **स्व. गायनाचार्य पं. विष्णु दिगंबर पलुसकर** द्वारा स्थापित गांधर्व महाविद्यालय विकास की सीढियाँ चढते हुए जागतिक स्तर पर आज अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल के नाम से प्रसिद्ध है। मंडल हर व्यक्ति के सांगीतिक विकास का ध्यान रखते हुए नियमित रूप से पाठ्यक्रम में सुधार एवं परिवर्तन करता रहता है, ताकि कलाप्रिय विद्यार्थी अपने दक्षता के परम सीमा तक पहुँच सके। हम आशा करते है कि विशारद तक का यह पाठ्यक्रम विशेष विद्यार्थियों के लिए एक नई दिशा के लिए निर्देशित करेगा एवं अपने सांगीतिक जीवन की ऊंचाइयों छूने में मदद करेगा। इस से अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल के संगीत शिक्षा में एक नया युग आरंभ हो रहा हैं, जो समानता के सिद्धांतोपर आधारित है। हमे विश्वास है कि यह संगीत पाठ्यक्रम विशेष विद्यार्थियों को मानसिक तथा शारीरिक क्षमताओं के अनुकूल हो तथा जिससे उनकि सृजनात्मकता एवं आत्मविश्वास बढे। जिसके फल स्वरुप वे आत्मनिर्भर बने और उनका समाज में आत्मसन्मान बढे।

आप सभी कि शुभकामनाओं के आधार से हमारा मंडल सभी कार्य में सफलता प्राप्त कर रहा है। इस पाठ्यक्रम के निर्माण कार्य में योगदान देनेवाले सभी गुरु-मार्गदर्शक तथा संगीत विशेषज्ञों के प्रति मंडल हृदयपूर्वक आभार व्यक्त कर रहा है। विशेष रूप से **"बाल कल्याण संस्था, पुणे "** जो लगभग ४० साल से सभी प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थीयों का कला और क्रीडा के माध्यम से विकास कार्य कर रही है, इस संस्था का भी मंडल आभारी है। आप सभी के सहयोग से समाज के इस विशेष घटक की उन्नति एवं विकास में भी मंडल हमेशा कार्यरत रहेगा।
यही मनोकामना है।
धन्यवाद !

विनीत -
प्रकाशक तथा राजिस्ट्रार,
अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल, मुंबई

सामान्य नियमावली

1. परीक्षा के समय शिक्षक या पालक को परीक्षार्थी को मदद करने के लिए आवश्यकतानुसार अनुमती दि जा सकती है।
2. यदि छात्रों ने नियमित पाठ्यक्रम की प्रवेशिका पूर्ण एवं मध्यमा पूर्ण की परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। तो उसकी सक्षमता जाँच (स्क्रीन टेस्ट) ली जाएगी। एवं ऐसे छात्रों को कार्यलय से लिखित पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।
3. किसी भी परिस्थिती में विशारद प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना विशारद द्वितीय में बैठने की अनुमती नहीं दि जाएगी।
4. परीक्षाओं में क्रियात्मक एवं मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना आनिवार्य हैं।
5. प्रारंभिक परीक्षा के लिए परीक्षार्थी की आयु 10 वर्ष होना आनिवार्य है।
6. परीक्षा केवल साल में अप्रैल/मई में होंगी।
7. परीक्षा फॉर्म भरते समय UDID कार्ड/प्रमाणपत्र होना आनिवार्य हैं।
8. किसी विशेष कारणवश यदि केंद्र में परिवर्तन करना आवश्यक हो तो परीक्षा की तिथि से कम-से-कम एक महीना पहले रजिस्ट्रार कार्यालय को प्रार्थना पत्र भेजना होगा। देर से आनेवाले प्रार्थना-पत्रोंपर विचार नहीं किया जाएगा। सभी परीक्षायें क्रियात्मक तथा मौखिक रूप में ली जायेंगी।
9. आवेदन पत्र अपूर्ण भरे होने से या शुल्क कार्यालय में समय पर न मिलने से अथवा अन्य आवश्यक बातों की पूर्ति न होने पर अस्वीकृत किए जाएँगे। अस्वीकृत आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र में गायन के परीक्षार्थी विषय के स्थानपर गायन (कंठसंगीत) ऐसा उल्लेख करेंगे तथा वाद्य के परीक्षार्थी आवेदन पत्र में विषय के स्थानपर अपने वाद्य के नाम का उल्लेख करेंगे। नृत्य के विद्यार्थियों को विषय के स्थान पर अपनी नृत्य-शैली का नाम लिखना होगा जैसे कत्थक, भरतनाट्यम्।
10. परीक्षा के परिणाम प्रायः जून के अंतिम सप्ताह में केंन्द्रों को भेजे जाएँगे।
11. परीक्षा परिणाम से संबंधित शिकायतें या जोड़ की जाँच (Recounting of Marks) करने के आवेदन-पत्र परिणाम घोषित होने के २० दिनों के अन्दर रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए। इसके बाद आनेवाले आवेदन पत्रोंपर विचार नहीं किया जाएगा।
12. पाठ्यक्रम के अनुसार क्रियात्मक परीक्षा तथा मंचप्रदर्शन न हुआ तो ऐसी शिकायते तुरंत रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजनी होंगी। परीक्षा फल घोषित होने के बाद आनेवाली ऐसी शिकायतें स्वीकृत नहीं होंगी।
13. अपने शिक्षक संस्थाचालक तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर होने आवश्यक हैं।
14. विशारद के प्रमाणपत्र दीक्षान्त समारोह के बाद ही भेजे जाते हैं। इसके लिए

आवश्यक निर्धारित शुल्क कार्यालय को भेजना होगा।

15. परीक्षा सम्बन्धी सभी आवश्यक सूचनाएँ तथा परिवर्तन मंडल द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, "संगीत कला विहार" में रजिस्ट्रार कार्यालय समाचार विभाग में/ मंडल की वेबसईट पर (https://abgmvm.org/) समय-समय पर प्रकाशित की जाएगी।
16. मंडल द्वारा इस पाठ्यक्रम के लिए वर्ष में सत्र में केवल एक बार अप्रैल/ मई सत्र में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षाएं केवल मंडल के चुने हुए दिव्यांग परीक्षार्थी केंद्र पर ही आयोजित की जाएगी।
17. विशारद के लिए परीक्षार्थी चाहे तो श्रेणी वृद्धि (Up-gradation) के लिए फिर से उसी परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। ऐसे परीक्षार्थी को आवेदन पत्र के साथ विशारद परीक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाणपत्र की मूल प्रति रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजनी होगी। ऐसी स्थिति में केवल सुधारित परीक्षा फल ही ग्राह्य माना जाएगा।
18. क्रियात्मक परीक्षा के लिए वाद्य तथा संगतकार की व्यवस्था परीक्षा केंद्र पर की जाती है। परीक्षार्थी को अपने साथ वाद्य या संगतकार लाने की अनुमति है किन्तु उसका व्यय मंडल नहीं देगा बल्कि परीक्षार्थी को स्वयं देना होगा।
19. परीक्षा फल रोकना / सुधारित करना या परीक्षा लेना इसपर रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा।

परीक्षा सम्बन्धी विशेष सूचना:-

1. परीक्षा से सम्बन्धित सभी प्रकार की कार्यवाही रजिस्ट्रार कार्यालय से ही होगी।
2. परीक्षा से सम्बन्धित सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही केवल मिरज में ही की जा सकेगी।
3. परीक्षा से सम्बन्धित सभी बातोंपर रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा।

इस पाठ्यक्रम की अंक विभाजन तालिका स्वतंत्र रूप से निर्गमित की जाएगी।